

MISC 2069-11/98

पुनर्विचार

कार्यालय आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

क्रमांक/ 1128/15-कोर्ट/98 इन्दौर, दिनांक : 29-10-98  
प्रति, " जयदेव

RP. 151  
02-11-98

सचिव,  
राजस्व मण्डल,  
म.प्र. खालियर

क्र. 982069  
क्र. 982069-11/98

विषय : कलेक्टर, उरगोन के अपील प्रकरण क्रमांक 23/अ-23/90-91 में पारित आदेश दिनांक 30 मार्च, 91 के, पूर्ण क्लोकन बाबद ।  
सन्दर्भ : कलेक्टर, जिला बड़वानी को ओर से प्राप्त पत्र क्र मांक 693 दिनांक 21-10-98.



उपरोक्त विषय से संबंधित कलेक्टर, जिला बड़वानी से प्राप्त संदर्भित पत्र एवं प्रकरण क्रमांक रि.न्यु.प्र.क्र. 64/अ-23/98-99 आपकी ओर पत्र के संलग्न अधिष्ठित किया जा रहा है ।

2. कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा संदर्भित पत्र में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए प्रकरण में कलेक्टर, जिला उरगोन द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ-23/90-91 में पारित आदेश को भू-राजस्व संहिता की धारा-50 के अंतर्गत स्वमेव निगरानी में लेकर उचित आदेश पारित किया हेतु संहिता की धारा 51 के अंतर्गत प्रकरण पुनर्विचार का अनुमति प्रदान कर अज्ञात कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :

1. प्र.क्र. 64/अ-23/98-99  
कलेक्टर बड़वानी
2. प्र.क्र. 7/अ-23/88-89  
अनुविभागीय अधिकारी बड़वानी

आयुक्त,  
इन्दौर संभाग, इन्दौर



वोहान-27 1998

6.8.2015

आवेक की ओर से श्री एच० के० अग्रवाल  
आवेक उपाधिक। उनके तर्क खुरे जमे।  
इस प्रकार में आमुक्त डाटा प्रकाश  
दस्तावेज 23/अ-6/90-91 में जारी आदेश  
को खुरेला से निगामी में लेने के  
अनुमति चाही गई है। खुरेला से  
प्रकाश निगामी में लेने के विषये  
सोडो की चारा 50 के अंतर्गत  
अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं  
है। प्रकाश कवेक्टर को आगे कम्पनी  
के गेजा जाये। यह प्रकाश समाप्त  
किया जाये।

अग्रवाल

अग्रवाल

H.K. Agrawal  
6-8-2015  
H.K. Agrawal